संख्या-55/2020/1978/71-2-2020-पी-45/2017

प्रेषक,

शुभ्रा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 31 अगस्त, 2020

विषयः- संस्थान के पुराने ओ0पी0डी0 भवन में 134 बेडस वार्ड के निर्माण कार्य से संबंधित शासन द्वारा स्वीकृत लागत रू0 880.77 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 के मद में वास्तविक व्यय की गयी धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/ई0(एए)एच0-02/02/ एच0-02/2016-17/243/2020, दिनांक 25-06-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में पुरानी ओ0पी0डी0 भवन में 134 बेडस वार्ड के निर्माण कार्य से संबंधित शासन द्वारा स्वीकृत लागत रू0 880.77 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 के मद में वास्तविक व्यय की गयी धनराशि रू0 60.38 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- संस्थान में पुराने ओ0पी0डी0 भवन में 134 बेडस के वार्ड के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-26/2018/811/71-2-2017-पी-45/2017, दिनांक 22-2-2018 द्वारा रू0 880.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 440.385 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त के उपरान्त शासनादेश संख्या-136/2018/3274/71-2-2018-पी-45/2017, दिनांक 02 नवम्बर, 2018 द्वारा रू0 440.385 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रायोजना हेतु समस्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- प्रश्नगत प्रायेजना हेतु देय जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में निदेशक, संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान परिसर में पुरानी ओ0पी0डी0 में 134 बेडस वार्ड के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 मद में वास्तविक व्यय की गयी धनराशि रू0 60.38 लाख (रू0 साठ लाख अडतीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश दिनांक 07-4-2020 एवं 11-04-2020 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. निदेशक, संस्थान द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि का आंकलन से संतुष्ट हो जाने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
3. निदेशक/ वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण कार्य के तहत कोई अन्य कर नहीं दिया गया है।

5- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/743, दिनांक 31.08.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शुभ्रा सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-55/2020/1978(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. परियोजना प्रबन्धक, इकाई-13, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, 2/128, विक्रान्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in